हिरासत में यातना और पुलिस सुधार की आवश्यकता

प्रिलिम्स के लिये:

हिरासत में यातना, मानवाधिकार, हिरासत में मौतें, अनुच्छेद 21, IPC, CrPC।

मेन्स के लिये:

हिरासत में यातना और हिरासत में मौतें, प्रौद्योगिकी, हिरासत में मौतों से बचने के उपाय, भारत में पुलिस व्यवस्था और पुलिस सुधार

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

लोकनीति-CSDS और NGO कॉमन कॉज़ (एक गैर सरकारी संगठन) द्वारा 17 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 8,276 पुलिस कर्मियों से प्राप्त इनपुट के आधार पर तैयार की गई भारत में पुलिस व्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट, 2025 से पता चलता है कि पुलिस कर्मियों में हिरासत में यातना और बलपूर्वक तरीकों की स्वीकार्यता बनी हुई है।

- ये अंतर्दृष्टि दुर्व्यवहार को रोकने तथा संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखने के क्रम में **संस्थागत पुलिस सुधारों** की तत्काल आवश्यकता पर केंद्रित है।

पुलिस द्वारा हिरासत में किये जाने वाले व्यवहार पर CSDS सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- **हिरासत में हिंसा की स्वीकार्यता: 63%** पुलिस कर्मियों ने बलात्कार और हत्या जैसे **गंभीर अपराधों के संदिग्धों के विरुद्ध हिंसा** को उचित ठहराया।
    - यहाँ तक कि चोरी जैसे छोटे अपराधों के लिये भी **30% लोग थर्ड डिग्री पद्धति** का समर्थन करते हैं।
- **यातना का संस्थागत समर्थन: 42%** पुलिस कर्मियों ने **आतंकवाद के मामलों** में यातना का समर्थन किया तथा 28% ने हिस्ट्रीशीटरों के मामले में इसका समर्थन किया।
    - **25%** पुलिस कर्मियों ने **यौन उत्पीड़न या बाल अपहरण** जैसे मामलों में **भीड़ द्वारा न्याय को उचित** ठहराया जबकि 22% ने **"खतरनाक अपराधियों"** की न्यायेतर हत्या का समर्थन किया।
    - जबकि **74%** का मानना था कि खतरनाक अपराधियों से निपटने के दौरान भी **विधिक प्रक्रियाओं का पालन** किया जाना चाहिये, केवल **41% ने गिरफ्तारी प्रोटोकॉल** का लगातार पालन करने की बात स्वीकार की।
        - **केरल में सबसे अधिक इसके अनुपालन** के पक्ष में थे**, जहाँ 94% लोगों** ने कहा कि गिरफ्तारी के दौरान हमेशा विधिक मानदंडों का पालन किया जाए।
- **अनिवार्य रिपोर्टिंग के प्रति दुविधा: 39%** पुलिस कर्मियों ने **हिरासत में यातना की अनिवार्य रिपोर्टिंग** का समर्थन किया, जबकि **41% ने केवल चुनिंदा मामलों में ही इसका समर्थन** किया, जो सशर्त जवाबदेहिता को दर्शाता है।
    - **स्टेशन स्तर के अधिकारी** वरिष्ठों की तुलना में रिपोर्टिंग के प्रति अधिक सहायक थे।
- **सुधार की तत्परता: 79%** पुलिस कर्मियों ने **मानवाधिकार प्रशिक्षण** और **यातना-विरोधी तंत्र** का समर्थन किया। **यदि कानूनी रूप से संरक्षित हों** तो **75% से अधिक पुलिस कर्मी हिरासत में हिंसा की रिपोर्ट** करने के समर्थन में थे और **79% ने साक्ष्य-आधारित पूछताछ तकनीक** का समर्थन किया, जो सुधार और जवाबदेहिता के क्रम में मज़बूत आंतरिक मांग को दर्शाता है।
- **विधिक सुरक्षा बनाम वास्तविकता: अनुच्छेद 21** के तहत विधिक सुरक्षा और *[illegible], 1997 [illegible]* में सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के बावजूद, हिरासत मानदंडों का **नियमित रूप से उल्लंघन** किया जाता है।
- **मजिस्ट्रेटों की निष्क्रियता, अप्रभावी चिकित्सा जाँच और NHRC की सीमित शक्तियों** से संस्थागत अंतराल पर प्रकाश पड़ता है जबकि **हिरासत में मौत के मामलों में शून्य दोषसिद्धि (वर्ष 2018-2022)** सोचनीय विषय है।

हिरासत में यातना क्या है?

पढ़ने के लिये यहां क्लिक करें: [हिरासत में यातना]

हिरासत में यातना के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ क्या हैं?

पढ़ने के लिये यहां क्लिक करें: [हिरासत में यातना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन]

भारत में पुलिस सुधार की आवश्यकता क्यों है?

- **अत्यधिक कार्यभार एवं जनशक्ति की कमी:** भारत में **प्रति 1,00,000 लोगों पर केवल 155.78 पुलिसकर्मी** हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के मानक 222 से काफी कम है। पश्चिम बंगाल (39.42%), मिज़ोरम (35.06%), हरियाणा (32%) जैसे राज्यों में उच्च रिक्ति दर इस बोझ को और अधिक बढ़ा देती है।
  - अधिकारी **प्रतिदिन 16–18 घंटे कार्य** करते हैं, जिनमें से **83.8% अत्यधिक तनाव** की रिपोर्ट करते हैं, जिससे **कुशलता**, **प्रतिक्रिया समय** और **मामलों की गुणवत्ता** प्रभावित होती है।
  - वे **वीआईपी सुरक्षा और चुनावी ड्यूटी** जैसे कई दायित्वों का निर्वहन भी करते हैं, अक्सर कम वेतन और बहुत कम विश्राम के साथ, जिससे **तनाव**, **थकान** और **भ्रष्टाचार की संभावनाएँ** बढ़ जाती हैं।
- **राजनीतिकरण और कमज़ोर जवाबदेहिता**: पुलिस की स्वायत्तता प्रायः **राजनीतिक हस्तक्षेप** के कारण प्रभावित होती है। ***'??????? ?? ????????? ?? ??????? ????????'*** के अनुसार, **दिल्ली के 72% पुलिस अधिकारियों** ने स्वीकार किया कि उन्हें जाँच के दौरान **राजनीतिक दबाव** का सामना करना पड़ा।
  - पत्रकारों, कार्यकर्त्ताओं और अल्पसंख्यकों के विरुद्ध देशद्रोह जैसे कानूनों का दुरुपयोग **कानून के शासन** और **जनता के विश्वास** को कमज़ोर करता है।
  - प्रदर्शनों के दौरान अत्यधिक बल प्रयोग (जैसे [CAA-NRC], 2023 में किसान आंदोलन, पहलवानों का विरोध) तथा वर्ष **2017 से 2022 के बीच हुई 669 हिरासत में मौतें** सुरक्षा तंत्र के बढ़ते सैन्यीकरण को दर्शाती हैं और **गंभीर मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ** उत्पन्न करती हैं।
- **अपर्याप्त प्रशिक्षण:** अधिकांश राज्यों में उचित प्रशिक्षण बुनियादी ढाँचे का अभाव है, जैसा कि [CAG] द्वारा उजागर किया गया है, **प्रशिक्षित कर्मियों का अनुपात कम है। हथियार प्रशिक्षण पुराना हो चुका है, और पुलिस को साइबर अपराध जाँच** या **फोरेंसिक विज्ञान** जैसी आधुनिक तकनीकों में शायद ही कभी प्रशिक्षित किया जाता है।
  - भारत में प्रति 0.1 मिलियन लोगों पर केवल **0.33 फोरेंसिक विशेषज्ञ हैं,** जबकि **विकसित देशों में यह संख्या 20-50 है,** जिससे वैज्ञानिक जाँच में बाधा उत्पन्न होती है।
  - सीमित **लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और तस्करी** के मामलों में न्याय वितरण को और कमज़ोर करता है।
- **पुराना ढाँचा**: अनेक थानों में **आधुनिक निगरानी उपकरणों और डिजिटल केस प्रबंधन प्रणाली की कमी** है। वर्ष 2022 तक औसतन **प्रत्येक 11 पुलिसकर्मियों पर केवल एक कंप्यूटर** उपलब्ध था, जबकि कुछ राज्यों में **प्रत्येक 30 अधिकारियों पर मात्र एक कंप्यूटर** ही था।
  - पुलिस बल अभी भी **पुराने हथियारों और मैनुअल रिकॉर्ड-कीपिंग पर निर्भर** हैं, जिससे **[साइबर अपराध]**, आतंकवाद और अन्य उभरते खतरों से प्रभावी ढंग से निपटना कठिन हो रहा है।
- **जन विश्वास की कमी और लैंगिक असंतुलन**: केरल की **जनमैत्री** तथा महाराष्ट्र की **मोहल्ला समिति** जैसी **सामुदायिक पुलिसिंग** अपवाद हैं, न कि सामान्य परिपाटी। इस कारण **स्थानीय स्तर पर जनसहभागिता सीमित** रह जाती है।
  - **दलितों और अल्पसंख्यकों जैसे हाशिये पर पड़े समुदाय** प्रायः पुलिस को **भेदभावपूर्ण और अस्वीकार्य** मानते हैं, जिससे विश्वास और सहयोग कम हो जाता है।
  - **महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों, रिपोर्टिंग में हतोत्साहन** तथा लिंग आधारित हिंसा के प्रति प्रतिक्रिया की **संवेदनशीलता और प्रभावशीलता पर प्रभाव पड़ने** के बावजूद पुलिस बल में **महिलाओं की संख्या केवल 11.75%** है।

पुलिस प्रणाली में सुधार के लिये क्या कदम उठाए जाने चाहिये?

- **कार्यभार कम करना** : त्वरित भर्ती और अधिक वित्तपोषण के माध्यम से पुलिस की कमी को दूर करना।
  - *?????? ????? केस, 2006* में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, **2 वर्ष का निश्चित न्यूनतम कार्यकाल,** कार्यकुशलता में सुधार लाएगा और राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करेगा।
- **स्वायत्तता और गैर-राजनीतिकरण सुनिश्चित करना:** राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिश के अनुसार, पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्य सुरक्षा आयोग (State Security Commission - SSC) की स्थापना की जानी चाहिये।
  - रिबेरो समिति के सुझाव के अनुसार, **पुलिस स्थापना बोर्ड (PEB)** को स्थानांतरण और पदोन्नति को स्वतंत्र रूप से संभालने का अधिकार दिया जाना चाहिये।
  - मॉडल पुलिस अधिनियम (2006) के अनुरूप पुलिस अधिनियम, 1861 में संशोधन करके इन सुधारों को कानूनी रूप से स्थापित किया जा सकता है।
- **बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण:** बेहतर अपराध नियंत्रण के लिये **AI-संचालित पुलिसिंग, बिग डेटा विश्लेषण और ड्रोन निगरानी** को अपनाना।
  - **CCTV नेटवर्क, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं, GPS-सक्षम वाहनों** और **बॉडी कैमरों** में निवेश करने के लिये **पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (MPF) योजना** का विस्तार करना।
  - पद्मनाभैया समिति के अनुसार **साइबर अपराध इकाइयों** को मज़बूत करना और जवाबदेही बढ़ाने के लिये पुलिस थानों में नाइट-विज़न CCTV पर **NHRC के 2021 के निर्देश** को लागू करना।
- **विशेषज्ञता और कार्यात्मक प्रभाग: मलिमथ समिति** के अनुसार, **जाँच और कानून-व्यवस्था संबंधी कर्त्तव्यों को अलग** किया जाना चाहिये

तथा **जटिल मामलों के लिये एक विशेष अपराध जाँच संवर्ग का** गठन किया जाना चाहिये।
    - इसने यह भी सिफारिश की कि **वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के समक्ष दिये गए इकबालिया बयान को साक्ष्य** के रूप में स्वीकार किया जाएगा, तथा इसमें जबरदस्ती के विरुद्ध सुरक्षा उपाय भी शामिल किये जाएंगे।
- **सामुदायिक पुलिस व्यवस्था और विश्वास निर्माण: मॉडल पुलिस अधिनियम (2006)** और **NHRC के दिशा-निर्देशों** के अनुसार **सामुदायिक पुलिस व्यवस्था के मॉडल को** अपनाना। **जनमैत्री सुरक्षा** (केरल) और **मोहल्ला समितियों** (महाराष्ट्र) जैसी सफल पहलों को बढ़ावा देना।
    - संवेदनशील मामलों को संभालने के लिये पुलिस थानों में **सामाजिक कार्यकर्त्ताओं और मनोवैज्ञानिकों** की नियुक्ति करना। विश्वास बनाने के लिये **नियमित रूप से जनता और पुलिस के मध्य संवाद** (खासकर हाशिए पर पड़े समुदायों में) को बढ़ावा देना।
- **लिंग संवेदीकरण: पुलिस में महिलाओं के लिये 33% आरक्षण** लागू करना, **प्रत्येक ज़िले में पूर्णतः महिला पुलिस थाने** तथा सभी थानों में महिलाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
    - **लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण** को अनिवार्य बनाएँ तथा प्रतिधारण में सुधार के लिये सहायक सुविधाएँ प्रदान करना।
- **न्यायिक समन्वय और सुधार: FRI का डिजिटलीकरण, पुलिस रिकॉर्ड को ई-कोर्ट से जोड़ना,** तथा **मलिमथ समिति** की सिफारिश के अनुसार **विचाराधीन मामलों को तेज़ी** से निपटाना।
    - **विलंब को कम करने तथा समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिये संपर्क अधिकारी** नियुक्त करना तथा दलील सौदेबाजी का विस्तार करना।
- **क्षमता निर्माण: फोरेंसिक, मानवाधिकार और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रशिक्षण** को आधुनिक बनाने के लिये एक पुलिस प्रशिक्षण सलाहकार परिषद (PTAC) की स्थापना करना। **सॉफ्ट स्किल और नागरिक** इंटरफेस मॉड्यूल शामिल करना।
    - **छात्रवृत्ति** के माध्यम से उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना तथा **व्यावसायिक विकास के लिये CBI, NIA और IB** के साथ क्रॉस-एजेंसी प्रशिक्षण को सक्षम बनाना।

निष्कर्ष

भारत में **उत्तरदायी, पेशेवर और जन-केंद्रित पुलिस व्यवस्था** बनाने के लिये पुलिस सुधार बहुत ज़रूरी हैं। लंबे समय से **लंबित सिफारिशों** को लागू करना, **स्वायत्तता सुनिश्चित करना, तकनीक का लाभ उठाना कानून** प्रवर्तन को बदल सकता है। **लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, न्याय सुनिश्चित** करने और कानून के शासन को बनाए रखने के लिये एक सुधारित पुलिस बल आवश्यक है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

भारत में पुलिस सुधार क्यों आवश्यक हैं? पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिये प्रमुख उपाय सुझाएँ।

UPSC सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न 1 मृत्यु दंडादेशों के लघूकरण में राष्ट्रपति के विलंब के उदाहरण न्याय प्रत्याख्यान (डिनायल) के रूप में लोक वाद-विवाद के अधीन आए हैं। क्या राष्ट्रपति द्वारा ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करने/अस्वीकार करने के लिये एक समय सीमा का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए ? विश्लेषण कीजिये। (2014)

प्रश्न 2 भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) सर्वाधिक प्रभावी तभी हो सकता है, जब इसके कार्यों को सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने वाले अन्य यांत्रिकित्वों (मकैनिज्म) का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। उपरोक्त टिप्पणी के प्रकाश में, मानव अधिकार मानकों की प्रोन्नति करने और उनकी रक्षा करने में, न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं के प्रभावी पूरक के तौर पर, एन.एच.आर.सी. की भूमिका का आकलन कीजिये। (2014)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/custodial-torture-and-need-for-police-reforms